न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 59/2016 – निगरानी

श्रीमति सिंधुदेवी पत्नी बंशीधर बनाम तिवाड़ी निवासी पारोली तहसील कोटड़ी	1.श्री रामेश्वरलाल पिता मोहनलाल शर्मा निवासी पारोली तहसील कोटड़ी 2.सरपंच ग्राम पंचायत पारोली, पंचायत समिति कोटड़ी
–निगराकार	–गैर निगराकारान्

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत पारोली बमामले पट्टा दिनांक 24.03.1991

उपस्थित –

1. श्री विनोद राव – अधिवक्ता निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 17.06.2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली संख्या 31/2012 निर्णय दिनांक 07.10.2014 को सिगाह से तलब किया गया ।

मूल निगरानी प्रकरण सं. 31/2012 में निगराकार ने निवेदन किया कि ग्राम पारोली पंचायत समिति कोटड़ी में ग्राम पंचायत पारोली द्वारा गैर निगराकार सं0 01 से आपसी मिलीभगती करके आबादी भूमि का विक्रय विलेख निशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन पत्र दिनांक 24–3–1991 को जारी किया गया जो गैर कानुनी होकर निरस्त योग्य है। निगरानी आवेदन में निवेदन किया कि गैर निगराकार सं0 01 ने गैर निगराकार सं0 2 से जिस भूमि का पटटा प्राप्त किया है वह रास्ते की भूमि हैं जिसका पटटा निःशुल्क जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। गैर निगराकार सं0 2 द्वारा आनन फानन में उक्त पटटा जारी किया गया हैं। जारीसुदा पटटा के नजरी नक्शे में दक्षिण पडौस को भी दो बार दर्शाया गया है तथा उक्त पटटे पर कोई नम्बर/कार्यालय की मोहर भी अंकित नहीं है। जारी किये गये पटटे की भूमि का निगराकार काफी वर्षो से बिना रोक टोक के रास्ते के रूप में उपभोग उपयोग करते आ रहे है। किन्तु अभी हाल ही में उक्त रास्ते को बन्द कर देने पर जानकारी की गई तो ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी होने की बात सामने आई है। इस पर निगराकार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पटटे की प्रमाणित प्रति लेने हेतु ग्राम पंचायत में दिनांक 10–8–2012 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक

24–9–2012 से यह सूचना दी गई कि भूखण्ड की मिसल व पटटा की प्रति ग्राम पंचवायत के रिकार्ड में नहीं हैं जिससे सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकती है। जिससे बिना किसी देरी के उक्त निगरानी श्रीमान् के यहॉ प्रस्तुत की जा रही है। गैर निगराकार सं0 1 द्वारा जिस भूमि का पटटा प्राप्त किया हैं उसके पुर्व में मदन लाल जी पश्चिम में निगराकार का स्वंय का मकान उत्तर गैर निगराकार सं0 01 का खेत व दक्षिण में सडक है। जिस भूमि का पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हैं वह रास्ते की भूमि होकर सार्वजनिक उपयोग की होकर निगराकार व अन्य व्यक्ति आ जा रहे है। गैर निगराकार सं0 01 को उक्त पटटा निशुल्क जारी किया हैं जो अपास्त योग्य है। निगरानी को मियाद में शुमार किये जाने हेतु धारा 5 का प्रार्थनापत्र निगराकार द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी अन्दर अवधि शुमार फरमाई जाकर गैर निगराकार सं0 01 को जारी किया गया पटटा दिनांक 24–3–1991 को अपास्त कराया जाय।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 19/11/2012 को पंजीबद्ध की जाकर गैर निगराकारान् को वज़ह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत से जारी किये गये पटटा से सम्बन्धी रेकार्ड तलब किये जाने हेतु लिखा गया। मामले में दौराने कार्यवाही गैर निगराकार सं0 01 व गैर निगराकार सं0 02 ग्राम पंचायत पारोली बावजुद सूचना के किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कराया हैं एवं न ही न्यायालय में उपस्थित ही आए है। जिससे मामले मे गैर निगराकार 1,2 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से दिनांक 29–5–2013 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया।

प्रकरण में गैर निगराकार सं. 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत किया। उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2019 को स्वीकार किया गया।

प्रकरण सं. 31/2012 में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस निगराकार श्रीमती सिन्धु देवी के अधिवक्ता ने विवादित भूखण्ड पटटा के सम्बन्ध में निगरानी आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पटटा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया जिससे रास्ता अवरूद्व हो जावेगा ओर ग्रामवासियो को आने जाने में असुविधा होगी यही नहीं ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की भूमि का पटटा बिना किसी आधार के निशुल्क जारी किया गया हैं जो विधि विपरीत होकर निरस्त योग्य है। यह भी निवेदन किया कि जारी किया गया पटटा किस नम्बर से जारी किया हैं अंकित नहीं है, पटटे पर ग्राम पंचायत की कोई मोहर आदि भी लगी हुई नहीं है। निगराकार ने अपने भूखण्ड पर मकान बना रखा हैं ओर ग्राम पंचायत द्वारा जिस रास्ते की भूमि का पटटा जारी किया हैं वह भूमि निगराकार व अन्य व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपभोग उपयोग करते हैं अतः जारी किया गया पटटा विधि विपरीत होकर निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाय।

गैर निगराकार सं. 01 रामेश्वर लाल शर्मा के अधिवक्ता ने अपनी बहस में

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर

बताया कि निगराकार सिन्धु देवी ने उक्त प्रकरण गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया हैं। तथाकथित रास्ता न तो सार्वजनिक रास्ता हैं और न ही वहां पर कोई सार्वजनिक उपयोग उपभोग हेतु रास्ते के रूप काम मे ली जा रही हैं। मौके पर जो भूमि प्रार्थी को आवंटित की गयी वह भूमि प्रार्थी के कृषि भूमि से लगती हुयी होकर विगत काफी समय से स्वयं प्रार्थी के ही आवागमन एवं बाडे के रूप में उपयोग उपभोग मे ली जा रही हैं। उक्त पटटे की पुश्त पर दर्ज नक्शे अनुसार उत्तर दिशा में खेत रामेश्वर लाल का बताया गया तथा दक्षिण दिशा में सडक बिशनिया बतायी गयी। इस प्रकार मुख्य सडक पर सिन्धु देवी के मकान जो कि विवादित भूमि के समान्तर स्थित हैं, में आवागमन होता हैं। पटटेसुदा भूमि से सिन्धु देवी का कोई आवागमन नही होता हैं और न ही ऐसा संभव हैं। विपक्षी सं. 01 श्रीमती सिन्धुदेवी विवादित पटटे वाली भूमि और मदनलाल के पटटेशुदा बाडे के पीछे उत्तर दिशा में रामेश्वरलाल का खेत स्थित हैं और जो भूमि आवंटित की गयी वह प्रार्थी के ही आवागमन हेतु होकर उसके खेत से लगी हुयी हैं और स्ट्रीप ऑफ लेण्ड हैं। इस प्रकार सिन्धु देवी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रकरण में सम्यक तौर तामिल नही होने से प्रार्थी की अनुपस्थिति में एक पक्षीय निर्णय पारित हुआ हैं। यदि प्रकरण में सम्यक तौर तामील होती तो प्रार्थी अपना सम्पूर्ण पक्ष रख पाता। निगराकार द्वारा प्रस्तुत पटटे की फोटोप्रति पर निर्णय नही किया जा सकता हैं। मूल पटटा एवं पत्रावली का परीक्षण किया जाकर ही निर्णय किया जा सकता हैं। रामेश्वर लाल का पटटा पहले का हैं एवं सिन्धु देवी का पटटा बाद का हैं। सिन्धु देवी के पटटे की प्रति होती तो पता चल जाता कि रास्ता इनके पटटे में दर्शाया गया हैं, जबकि इन्होनें बुरें इरादे से अपना पटटा पेश नही किया है। पंचायत का अन्य रिकार्ड भी तलब नहीं हुआ है। निगराकार एवं गैर निगराकार सं. 01 दोनों की मूल पत्रावली तलब होनी चाहिये, जिससे आसपास की भूमि की वास्तविक पता चल सकेगा। निवेदन हैं कि मूल निगरानी प्रकरण सं. 31/2012 में गैर निगराकार सं. 01 की बहस स्वीकार की जाकर निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड/पटटे की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। गैर निगराकार के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रकरण संख्या 08/2015 निर्णय दिनांक 10.05.2016 से स्वीकार होकर प्रकरण संख्या 31/2012 निर्णय दिनांक 07.10.2014 में पारित एक पक्षीय निर्णय को अपास्त किया गया। निगरानी प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करने के आदेश पर प्रकरण दिनांक 02.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष की सुनवायी की गयी। गैर निगराकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 28.08.2019 को स्वीकार कर निगराकार सिन्धुदेवी के नाम जारी पटटे की प्रति प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये लेकिन निगराकार ने अपने नाम का जारी पटटा सरपंच को दे दिये जाने से प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की हैं। गैर निगराकार ने यह आपत्ति प्रकट की हैं कि निगराकार ने निगरानी पटटे की फोटो प्रति के आधार पर प्रस्तुत की, जबकि मूल पटटा व पंचायत की पत्रावली होना आवश्यक हैं। गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर दिनांक 24.03.1991 को पटटा जारी हुआ, जबकि निगराकार

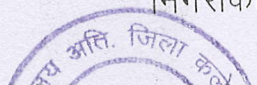

बताया कि निगराकार सिन्धु देवी ने उक्त प्रकरण गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया हैं। तथाकथित रास्ता न तो सार्वजनिक रास्ता हैं और न ही वहां पर कोई सार्वजनिक उपयोग उपभोग हेतु रास्ते के रूप काम मे ली जा रही हैं। मौके पर जो भूमि प्रार्थी को आवंटित की गयी वह भूमि प्रार्थी के कृषि भूमि से लगती हुयी होकर विगत काफी समय से स्वयं प्रार्थी के ही आवागमन एवं बाडे के रूप में उपयोग उपभोग मे ली जा रही हैं। उक्त पटटे की पुश्त पर दर्ज नक्शे अनुसार उत्तर दिशा में खेत रामेश्वर लाल का बताया गया तथा दक्षिण दिशा में सडक बिशनिया बतायी गयी। इस प्रकार मुख्य सडक पर सिन्धु देवी के मकान जो कि विवादित भूमि के समान्तर स्थित हैं, में आवागमन होता हैं। पटटेसुदा भूमि से सिन्धु देवी का कोई आवागमन नही होता हैं और न ही ऐसा संभव हैं। विपक्षी सं. 01 श्रीमती सिन्धुदेवी विवादित पटटे वाली भूमि और मदनलाल के पटटेशुदा बाडे के पीछे उत्तर दिशा में रामेश्वरलाल का खेत स्थित हैं और जो भूमि आवंटित की गयी वह प्रार्थी के ही आवागमन हेतु होकर उसके खेत से लगी हुयी हैं और स्ट्रीप ऑफ लेण्ड हैं। इस प्रकार सिन्धु देवी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रकरण में सम्यक तौर तामिल नही होने से प्रार्थी की अनुपस्थिति में एक पक्षीय निर्णय पारित हुआ हैं। यदि प्रकरण में सम्यक तौर तामील होती तो प्रार्थी अपना सम्पूर्ण पक्ष रख पाता। निगराकार द्वारा प्रस्तुत पटटे की फोटोप्रति पर निर्णय नही किया जा सकता हैं। मूल पटटा एवं पत्रावली का परीक्षण किया जाकर ही निर्णय किया जा सकता हैं। रामेश्वर लाल का पटटा पहले का हैं एवं सिन्धु देवी का पटटा बाद का हैं। सिन्धु देवी के पटटे की प्रति होती तो पता चल जाता कि रास्ता इनके पटटे में दर्शाया गया हैं, जबकि इन्होनें बुरें इरादे से अपना पटटा पेश नही किया है। पंचायत का अन्य रिकार्ड भी तलब नहीं हुआ है। निगराकार एवं गैर निगराकार सं. 01 दोनों की मूल पत्रावली तलब होनी चाहिये, जिससे आसपास की भूमि की वास्तविक पता चल सकेगा। निवेदन हैं कि मूल निगरानी प्रकरण सं. 31/2012 में गैर निगराकार सं. 01 की बहस स्वीकार की जाकर निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड/पटटे की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। गैर निगराकार के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रकरण संख्या 08/2015 निर्णय दिनांक 10.05.2016 से स्वीकार होकर प्रकरण संख्या 31/2012 निर्णय दिनांक 07.10.2014 में पारित एक पक्षीय निर्णय को अपास्त किया गया। निगरानी प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करने के आदेश पर प्रकरण दिनांक 02.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष की सुनवायी की गयी। गैर निगराकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 28.08.2019 को स्वीकार कर निगराकार सिन्धुदेवी के नाम जारी पटटे की प्रति प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये लेकिन निगराकार ने अपने नाम का जारी पटटा सरपंच को दे दिये जाने से प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की हैं। गैर निगराकार ने यह आपत्ति प्रकट की हैं कि निगराकार ने निगरानी पटटे की फोटो प्रति के आधार पर प्रस्तुत की, जबकि मूल पटटा व पंचायत की पत्रावली होना आवश्यक हैं। गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर दिनांक 24.03.1991 को पटटा जारी हुआ, जबकि निगराकार

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के नाम पर बाद में पटटा जारी हुआ हैं। निगराकार सिन्धुदेवी के पटटे की प्रति होती तो पता चल जाता की रास्ता इनके पटटे में दर्शा रखा हैं या नही, जबकि निगराकार Bae Intention से अपना पटटा पेश नही कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब नहीं हुआ। इस प्रकार पक्षकारान् के मध्य एक ही आबादी भूमि के भूखण्ड का पटटा निगरकार व गैर निगराकार सं. 01 के नाम जारी करने का विवाद हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि क्या आवंटित पटटे की भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है अथवा नहीं, क्या आवंटित भूमि निशुल्क आवंटन की श्रैणी में आती हैं अथवा नहीं? यदि नहीं आती हैं तो पटटाधारी से नियमानुसार राशि वसुली की जावे। यदि पटटाधारी श्री रामेश्वरलाल पिता मोहनलाल शर्मा द्वारा नियमानुसार राशि जमा नहीं कराई जाती है अथवा आवंटित भूमि रास्ते की भूमि होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि हें तो नियमानुसार विवादित पटटे की भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति पालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/06/10 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा